

पगावली पेठ हवी। प्राची व वकील प्राची  
उपस्थित। वार-वार आवाज लगावली  
गयी। आवाज लगावने के उपरान्त भी  
प्राची की आटे से कोई उपस्थित नहीं।  
आता। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र अदालत  
आयी अदालत पैरवी में खाटीज किया जाता  
है। पगावली फोनल शुभ होम नम्बर के  
अदालत दफ्तर दाखिल हो।

*(Signature)*

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)